

2023/761

309/23

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जिला चित्तौडगढ़ राज.

कमांक:-भू.अ./2023/Comp/27

दिनांक:-06/06/20

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री काठुवाल पिता उदा नि पाल
पह पाल के राजस्व ग्राम अर्जुनपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078
की खाता संख्या 51.52 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम काठुवाल किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम काठुवाल का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

[Signature]
तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़ राज.

कमांक:-रीडर/2023/87

दिनांक:-07/06/2023

निमित्त,

पटवार हल्का पाल

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री काठुवाल पिता उदा पुहार
राजस्व ग्राम अर्जुनपुरा पह पाल की खाता संख्या 51.52 में
जाति/नाम काठुवाल दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान पह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री काठुवाल पिता उदा की
जाति/नाम काठुवाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। पह पाल राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़

प्रतिलिपि:-तहसीलदार

पालना सुनिश्चित करे।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़